Ministry. I do not think the Minister is expected to answer that. But he can answer the first part of your question.

SHRI G. G. SWELL: It is a complex issue.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know we can put a complex question.

SHRI RAJESH PILOT: The hon. Member in his first part of the question has asked about the Hazrat Bal incident. As the House is aware, the State Government has given a very clear statement that after surrender the law will take its course. So, they were handed over to the court, there is a process going on.

About the number of released militants, I think if the hon. Member puts a separate question I will be able to give a complete picture. At the moment I won't be able to tell how many have been released, on what date and how they were released, but the Government policy is very clear that after their surrender the State law will take its own course. So, the process is being followed.

Sanctuaries and National Parks in the Country

*183. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:
SHRI ANANT RAM JAISWAL:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what are the details of the sanctuaries and national parks that have come up in the country during the last three years, year-wise;

(b) what is the number of tribal belts (showing the number of persons) affected as a consequences thereof; and

(c) what are the alternative rehabilitation arrangements made by Government of the displaced tribals to earn their livelihood?

*The question was actually asked on the floor of the House by Shri Satya Prakash Malaviya.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The number of National Parks and Sanctuaries that have come up in last three years are as follows:

Year	National parks	Sanctuaries
1991	3	4
1992	2	5
1993	—	—

(b) and (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

As per the Wild Life (Protection) Act, 1972, as amended in 1991, a sanctuary or a National Park can be finally declared as one, only when all the claims and rights of the people over the land comprising the protected area are finally settled. These rights are determined by a Collector appointed by the State Government for the purpose, following the procedure as laid down in Section 19 to 25 of the Act. Every care is taken to ensure that the people having rights over such areas are not adversely affected and they are duly compensated in case their rights are acquired. The total number of tribals affected as a consequence of the constitution of National parks and Sanctuaries is difficult to ascertain as in addition to direct impact of protected areas on included population the impact extend to peripheral villages also and the limit of such fringe dwellers vary from area to area depending on socio-economic and cultural aspect of local population as well as the topographic and esaphic condition of the localities.

The Central Government, on request, gives assistance to the State Governments whenever a tribal population is to be rehabilitated outside a protected area as a consequence of the constitution of a National Park of Sanctuary under the 'Beneficiary-oriented Scheme', the Scheme of the Development of 'National Parks and Sanctuaries', 'Project Tiger' and the 'Project Elephant'. A Scheme of 'Eco-development in and around Protected Areas' is also being

implemented with the objective of increasing the employment opportunities, reducing their dependence on forest biomass from forest area, provide them with alternatives and improving the quality of life of the people living in and around protected areas.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: उपसभापति महोदया, सब से पहले तो मेरी आपत्ति यह है, आप मेरे प्रश्न के भाग (क) को देखिये, जो उत्तर हम लोगों को नोटिस आफिस या लॉबी आफिस से मिला है, उसमें केवल यह स्टेटमेंट मिला है। तो मेरी आपत्ति यह है कि यह भी हम को मिलना चाहिये था। जो उत्तर विभाग की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से लॉबी या नोटिस आफिस में गया है उसमें मेरे प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नहीं है।

उपसभापति: कौन से भाग का जवाब नहीं है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: भाग (क) का।

उपसभापति: वह उन्होंने पढ़ा है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: पढ़ने का सवाल नहीं है, हमको मिलना चाहिये।

SHRI KAMAL NATH: It must have because (a) is part of the answer. For (b) and (c) a statement is laid on the Table of the House. The hon. Member, perhaps, has not picked up part (a). I read it out. If he is not satisfied...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: It was not there, Madam, Anyway, माननीय उपसभापति जी, 1960 में इस देश में अभ्यारण्यों की संख्या 60 थी और राष्ट्रीय उद्यानों की केवल 5 थी। अब यह बढ़कर क्रमशः 633 और 147 हो गयी है, लेकिन इस बीच इन स्थानों में जो आदिवासी लोग रहते हैं या जो गांववाले बसते हैं, जब ये राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य बनते हैं तो वे बेघरबार और बेरोजगार हो जाते हैं और जो भी इनकी पुनर्वास की योजना है वह इतनी पर्याप्त नहीं है कि वे ठीक तरह से विस्थापित हो सके। इसलिए मेरा प्रश्न है कि जो वर्तमान योजना है जिसके बारे में अभी मंत्रीजी ने बताया है, तो क्या उन्हें पुनःस्थापित करने की इस योजना के संबंध में आप पुनःविचार करेंगे?

श्री कमल नाथ: मैडम, यह बात सच है कि जो प्रेशर हमारे नेशनल पार्क्स और सेंक्चुरीज पर है, जो बायोटिक प्रेशर है जिससे कि हमारे बहुत कीमती जीन पूल को केवल खतरा ही नहीं है बल्कि बहुत सारा जीन पूल डैमेज भी हुआ है। वर्तमान में 4.2 परसेंट हमारा ज्योग्रेफिकल एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है। इसमें 75 नेशनल पार्क्स और 421 सेंक्चुरीज आज के दिन मौजूद हैं। जब ये सेंक्चुरीज या नेशनल पार्क्स की घोषणा की जाती है, उस समय इस पर जरूर विचार किया जाता है कि जो वहां की जनता और आसपास के गांव हैं, उनको जो फेसिलिटीज पहले थीं, इन नेशनल पार्क्स और सेंक्चुरीज में चाहे वे जलाऊ लकड़ी की हों या अन्य फेसिलिटीज हों, उनके ये अधिकार बने रहें जब तक कि उसका सेटलमेंट न हो जाए। इसके लिए नियम और कानून बना हुआ है और उसके अन्तर्गत यह काम होता है। इसमें कुछ कठिनाई भी आती है और जिसके कारण कुछ देरी होती है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: महोदया, उत्तर प्रदेश के नैनीताल में जो कार्बेट पार्क है और लखीमपुर के खिरी में दुधवा है, बिहार के पलामू में बेतला है और जिस राज्य से मंत्रीजी आते हैं अर्थात् मध्य प्रदेश में कान्हा और इन्द्रावती है—इन पांच के नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि कार्बेट पार्क और दुधवा पार्क में आतंकवादियों ने अपना घर बना लिया है जिसके कारण इनके कर्मचारी कई बार भाग जाते हैं और काम नहीं कर पाते। इसी तरह लखीमपुर में खिरी की भी वही हालत है और पलामू के बेतला में, नक्सलाइट लोगों ने कान्हा में, कब्जा कर लिया है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां से नक्सलाइट या आतंकवादी हटें, इस संबंध में वन और पर्यावरण मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री कमल नाथ: मैडम, माननीय सदस्य का यह कहना है कि आतंकवादियों ने या कुछ ऐसी शक्तियों ने वहां इन पार्कों में कब्जा किया हुआ था, सही नहीं है। कुछ समय के लिए यह सच था कि कुछ आतंकवादी और कुछ ऐसे तत्व, वे नक्सलाइट या जो कोई भी हों, उन पार्कों में जिनका कि नाम लिया गया है, घुस गए थे। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से चर्चा की थी और कड़ी व्यवस्था करने के बाद आज ऐसी शिकायत कम-से-कम जिम कार्बेट पार्क में नहीं है। मैं खुद जिम कार्बेट पार्क गया था। अब ऐसी शिकायत वहां नहीं है, पहले जरूर थी। मैडम, जहां तक पलामू की बात है, वहां नक्सलाइट का जो प्रेशर रहता है और कर्मचारियों को खतरा रहता है, इस बारे में एक ऐसी योजना बनायी जा रही है ताकि जो वहां के अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको इस प्रकार की फेसिलिटीज जैसे कम्युनिकेशन इक्युपमेंट, वायरलेस सेट्स दिए जाएं और हो सके तो इन्हें आर्म्ड भी किया जाए और इन सब फेसिलिटीज के बाद मैं समझता हूं कि इस समस्या से काफी राहत मिलेगी।

श्री सुरेश पचौरी: उपसभापति महोदया, इस माननीय सदन ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 में और उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन (अमेंडमेंट) बिल पास किया। उस बिल के अनुसार कोई भी सेंचुरी और नेशनल पार्क को तब तक डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता, लिमिट तय नहीं की जा सकती, जब तक कि उस राज्य की असेम्बली प्रस्ताव पारित न करे। लेकिन, कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां सदन की अवमानना करते हुए ऐसे कदम उठा लिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जिन्होंने, जो बिल इस सदन ने पास किया उस बिल की भावना के विपरीत, बगैर असेम्बली के प्रस्ताव पारित किए हुए ऐसे कदम उठा लिए हैं? उनके खिलाफ माननीय मंत्री जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री कमल नाथ: मैडम, इस सदन ने जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल पास किया था, उस समय जो परिवर्तन कानून में किया गया था, उसमें राज्य सरकार की विधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव की आवश्यकता थी, अगर राज्य सरकार सेंचुरी की सीमा मे कोई परिवर्तन करना चाहे। लोक सभा और राज्य सभा में यह बिल 1991 में पास हुआ था। आज जो हमारे मंत्रालय में सूचना है, उसके अनुसार जो गुजरात में नारायण सरोवर सेंचुरी है, जो 1981 में सेंचुरी घोषित की थी 765.79 किलोमीटर की, अभी जुलाई 1993 में इस सेंचुरी की सीमाओं को घटाकर गुजरात राज्य सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसे लगता है और जैसे स्पष्ट हो रहा है, जो राज्य की विधानसभा से इसका प्रस्ताव चाहिए था, इस प्रस्ताव की हमें कोई सूचना नहीं है। तो हमने गुजरात राज्य सरकार से यह टेकअप किया है और उनके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं।

उपसभापति: श्री सोमपाल।

श्री सुरेश पचौरी: महोदया, आपकी इजाजत से, एक राज्य उड़ीसा और है, उसके खिलाफ वहां भी ऐसा ही कदम उठाया गया है।

उपसभापति: मंत्री जी को आपने बता दिया है।....

श्री कमल नाथ: उड़ीसा की भी ऐसी कुछ सूचना मिली है। इस पर हम जानकारी ले रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को इसके बारे में जानकारी, जैसे ही मिलती है, दे दूंगा।

उपसभापति: खाली माननीय सदस्य को नहीं, इस माननीय सदस्य को भी दे दीजिएगा।

श्री कमल नाथ: जी।

उपसभापति: श्री सोमपाल जी।

श्री सोमपाल: माननीय उपसभापति जी, दिल्ली के बहुत ही निकट राजस्थान में प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। माननीय राजेश पायलट साहब यहां बैठे हैं, उसी प्रदेश से वह प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री बापू कालदाते: टाइगर है।

श्री सोमपाल: और उन्हीं के प्रदेश में, वहां से चूंकि वह आते हैं और संयोग की बात है कि उन्हीं के समुदाय के, उन्हीं की कम्युनिटि के लोग, गूजर जनजाति के लोग, सरिस्का फारेस्ट रिजर्व में, उनके एक दर्जन से ज्यादा गांव है। मैंने गत वर्ष वहां स्वयं जाकर यह देखा कि उन लोगों से वन संपदा प्रयोग करने का सारा अधिकार तो छीन लिया गया है, जो उनका परंपरागत और वंशानुगत अधिकार था और उसके विकल्प के तौर पर न तो उनके ईंधन की कोई व्यवस्था है, न आवास की कोई व्यवस्था है और न आजीविका के लिए उनके पास एक इंच भी भूमि ही उपलब्ध है। वह जंगल में बकरियां, गाय और भैंस पालकर और उनका घी बेचकर गुजारा करते हैं। प्रायः हर हफ्ते या महीने में एक दो घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्यों को, बच्चों को, उनके पशुओं को शेर वहां से ले जाते हैं। मेरी सूचना के अनुसार 17 या 18 शेर रहने का 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में दावा सरकार करती है, वह आंकड़ा भी ठीक है या नहीं, यह भी जानकारी सही नहीं है। अगर वह हों भी 17-18, तो इतनी बड़ी मानवीय जनसंख्या को 17-18 शेरों के लिए बलिदान करने का सरकार क्यों उपक्रम कर रही है? यह समझ में नहीं आता है। न वहां उनके लिए स्कूल हैं, न अस्पताल है। मैंने स्वयं एक बुढ़िया को चारपाई के ऊपर वहां से 18 किलोमीटर दूर ले जाते हुए देखा। कंधे के ऊपर रखकर, जैसे मुर्दे की लाश को ले जाते हैं। यह बहुत दर्दनाक और संवेदनापूर्ण बात है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन 17-18 गांव के जनजाति लोगों के पुनर्वास के लिए या उन्हें सम्मान से और सुरक्षित जीवन जीने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है? अगर बनाई है तो उसका विवरण क्या है? और, अगर नहीं बनाई है तो क्या कारण हैं इस प्रकार की उपेक्षा उस जनजाति के लोगों की क्यों की जा रही है?

श्री कमल नाथ: मैडम, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि सरिस्का के बारे में, मैंने शुरू में यह कहा था कि जब सेंचरी की घोषणा होती है, कानून में यह स्पष्ट है कि जो वहां के बसे हुये लोग है, बसे हुये गांव हैं, जब तक उनका सेटलमेंट ने हो, उनके राइट्स का भी सेटलमेंट न हो, उनके राइट्स छीने नहीं जा सकते, जब भी सेंचरी की

घोषणा होती है, यह कानून में बड़ा स्पष्ट है। अगर सरिस्का या अन्य किसी सेंचरी में ऐसी बात हुई है तो यह गलत है।

जहां तक प्रश्न है कि वहां के बसे हुये लोगों को आज असुविधा है और वे सम्मान के साथ अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। केन्द्र सरकार की अन्य योजना है इको डेवलपमेंट, इको डेवलपमेंट का अर्थ केवल इकोलाजिकल नहीं है, इकनामिक भी है और जो भी व्यवस्था हो—उनके पेयजल की हो, उनके स्वास्थ्य की हो, यह व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत आती है। राज्य सरकार को यह योजना बनाकर केन्द्रीय सरकार को भेजनी पड़ती है और यह तब स्वीकार होती है। जो माननीय सदस्य ने बात रखी है, इस पर मैं जानकारी मंगाकर उचित कार्रवाई करूंगा।

श्री सोमपाल: उपसभापति महोदया, यह बहुत घिसा-पिटा उत्तर है। यह तो सबको मालूम है कि आपने कानून बनाया। मेरा यह प्रश्न है कि कानून है मगर उसकी क्रियान्वित नहीं होती। इससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आपको जानकारी नहीं है, आप कह रहे हैं जानकारी लेंगे अभी।.....**(व्यवधान)**.....

श्रीमती सरला माहेश्वरी: लोग भूखों मर रहे हैं इनके कारण।

श्री सोमपाल: क्रियान्वित है नहीं, इसका कोई अर्थ ....**(व्यवधान)**.... स्पेसिफिक उत्तर की मैं आपसे उपेक्षा करता था।

उप सभापति: अब आपने मिनिस्टर आफ स्टेट आफ होम को भी इन्वाल्व किया है, वह भी उनको प्रेशराइज़ करेंगे।

श्री कमल नाथ: मैंने बहुत स्पेसिफिक जवाब दिया है और जो माननीय सदस्य ने कहा कि ये कठिनाइयां कुछ वहां के बसे हुये लोगों की है, शायद माननीय सदस्य उनकी बात कर रहे हैं जो आसपास के गांव हैं।

श्री सोमपाल: जी नहीं, मैं उनके बीच की बात कर रहा हूं। आप मिसलीड कर रहे हैं और गलत सूचना दे रहे हैं इस सदन को। यदि वह उनके बीच में पहले से नहीं रह रहे हों तो मैं इस सदन से क्षमा मांग लूंगा, अपना प्रश्न वापिस ले लूंगा। वे पहले से रहने वाले लोग हैं।

उप सभापति: सोमपाल जी, अगर मंत्री जी जानकारी करके बताएंगे तो .....**(व्यवधान)**....

श्री सोमपाल: उपसभापति जी, आपको इसमें मेरी सहायता करनी चाहिये। वह गलत उत्तर दे रहे हैं, गलत सूचना सदन को दे रहे हैं।

उप सभापति: मैं कोई गलत सूचना नहीं दे रहा।

श्री कमल नाथ: वह जानकारी करके आएंगे और अगर उन्होंने गलत सूचना दी है तो उसका भी समाधान है, मगर अभी उनको पता तो लगाने दीजिए सीधा।

SHRI JAGESH DESAI: In the answer the hon. Minister has said that it is diffficult to know how many tribals are affected because of the coming up of the national parks. But my own experience as Chairman of the Assurances Committee of the Rajya Sabha, when we visited several sanctuaries, is that most of the people who were affected were tribals. In the periphery areas also there may be some persons, but majority of them were tribals. We are all worried about the tribals, because these are the weakest sections of the population. So, what I would like to say is that it should not be compensation in terms of rupees alone. Now, there is education amongst the tribals. So, I would like to know whether the Government will see that those who are educated to some extent can be absorbed in your Department, the Department of Forests or in the Police Department or in some nearby public sector undertaking so that the tribals will get their place. Secondly, I would like to know how much assistance has been given to the States for the purpose of their rehabilitation. If the hon. Minister has got figures, he can give. Otherwise he should give us an assurance that those who can be employed in the Police Department or in the Forest Department or in a nearby public sector undertaking, his Department is going to help so that they can get a place.

SHRI KAMAL NATH: It is true that the tribals are affected. We must recognise that tribals have symbiotic relationship with forests and forests are the habitat for wild life. So, when national parks or sanctuaries are formed, it is obviously a fact and it is likely to be largely that tribals are going to be affected the most. So far as sanctuaries are concerned, as I said earlier in reply to a question, the law is clear. Sometimes it

has not happened. There has been delay in settlement of rights and there has been a miscarriage. There has been a miscarriage of the intent and the law where tribals or those living in the areas which are defined as sanctuaries are prohibited from carrying on grazing or collecting fuel wood or whatever it is. These complaints have come to me in large numbers. Before the rights are settled, this cannot happen and the law also prescribes this. So if it is happening, it is wrongly happening. That is the point I have been trying to make even in the earlier supplementary and I am repeating it here.

SHRI SOM PAL: What remedy are you suggesting? The delay is... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Som Palji, we are not having a discussion.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: The Minister is miscarrying and the Member is misconceiving. That is the only difference between them.

SHRI KAMAL NATH: There is a lot of pressure not only of population, but there is a severe priority pressure. There is a pressure of development of sanctuaries in the national parks along with pressure of people who are displaced or are likely to get displaced not only in the parks but also around the parks. These people went into the parks earlier for their livelihood, whether it was for fishing or for collecting fuel wood or whatever it was. Because of that the eco development scheme has suffered. This is not a problem which has arisen in the last one year or in the last two years. This is an accumulated problem. In the last two years we have announced a large number of eco-development schemes. I repeat 'eco-development' which stands for ecological and economical development. As a component of that economical development scheme, job opportunities will also be available. I am unable to say the kind of preference we would be able to give. The State Governments would have to take this decision on giving priority and preference to those people who have been dislocated. So this is a matter which we could certainly recommend to the State Governments because management of these parks lies with them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Tribals live on forests. If forests are protected, their livelihood will also be protected. Q.No. 184.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: In this question the spelling "nickle" is completely wrong.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Which question?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Q.No 184 on "Findings of expert committee on the nickle conten in Indian chocolates." Throughout the spelt it wrong. There is no errata issued This is a matter of record. Madam, think we should at least get the spellin right in the highest forum. The errata i here.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY What is the spelling?

SHRIMATI JAYANTH NATARAJAN: The correct spelling i "nickel". Throughout the question i comes as "nickle". I don't think w should let it go.

डा॰ बापू कालदाते: इसी के लिए अंग्रेजी हटाओ

उपसभापति: जब तक अंग्रेजी है, तब तक तो सी लिखना चाहिए ...(व्यवधान)

She is right.

SHRIMATI JAYANTI NATARAJAN: Madam, I think it shou be corrected and it should be seen that doesn't happen again. There are sever errata issued today.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We w seriously take up this matter with t press.

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: बापू कालदाते इन्फार्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हिन्दुस्तानी अच्छी अंग्रेजी लिखते है बोलते हैं ...(व्यवधान)

SHRIMATI JAYANTI

NATARAJAN: You speak Tamil, I will speak ... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Q.No. 184.

Findings of Expert Committee on the Nickle content in Indian Chocolates

*184. SHRIMATI ILA PANDA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Delhi High Court has directed the Government of India to furnish the findings of the Expert Committee on the Nickle content in Indian chocolates;

(b) whether the Expert Committee has given its report and, if so, what are its findings; and

(c) what corrective measures Government propose to take against such hazards?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) No, Sir.

(b) and (c) The expert groups chaired by DG, ICMR and Director, National Institute of Occupational Health have given their report. The main findings are:

— the values of Nickel content in Indian Chocolates are comparable to internationally reported values.

— there is no need to fix any limit for Nickel content in normal food articles as there is no cause for concern for Nickel toxicity through oral ingestion of such food.

— limits for Nickel content are important in case of foods where Nickel is used for processing, to ensure Good Manufacturing Practices by the Industry.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You should have brought some chocolates for the Members of Parliament. Then at least they could know whether you are right or wrong.

SHRIMATI ILA PANDA: Madam Deputy Chairman, may I know from the hon. Minister in detail about the internationally reported value of nickel content in the chocolates manufactured in India? Would the Minister lay a copy of the report of the expert group on the Table of the House?

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Madam, as per the information that we have collected, there is no limit on nickel content in food, as has been recommended by CODEX, that is the international body of WHO/FAO and in countries like U.K ., U.S.A. EEC and Canada, there is no limit on nickel/ content, as prescribed by the Food Control Authority.

SHRIMATI ILA PANDA: Madam, may I know from the hon. Minister whether the Indian chocolate manufacturers are using the cheap hydrogenated oil instead of coco-butter and whether the Minister is aware of the fact that there is no health hazard from the nickel content in chocolates?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are they using hydrogenated oil or coco butter?

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Madam, they are using coco in chocolates.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, they are using coco-butter. That is the difference. That is why the lady can know and the gentleman can't about food matters.

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: There is no such report that this material is being used in chocolates. (*Interruptions*) There is no report of this material being used in chocolates.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me ask another lady. Renuka Chowdhury, what is your opinion about coco-butter and nickel content?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Madam, coco-butter is excellent. (*Interruptions*) I will investigate about the chocolates if the Minister is kind enough to forward some of them to me.